न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 02/2021

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. भोलाशंकर आत्मज पुरूषोत्तम ब्राह्मण, निवासी मालबमोरी, तहसील मांगरोल हाल निवासी 1–क 25 टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा (राज0) (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 28.06.2023

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मालबमोरी की आराजी खसरा नंबर 1307 रकबा 3.30 है0 एवं 1313 रकबा 2.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.22 है0 मुताबिक राजस्व रिकार्ड पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण निवासी मालबमोरी के हिस्सा 1/3 सहखातेदारी में दर्ज थी। मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण, निवासी मालबमोरी के विरासत नामांतकरण दर्ज करने हेतु वारिस भोलाशंकर पुत्र पुरूषोत्तम ब्राह्मण निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल हाल निवासी 1–क 25 टीचर्स कॉलोनी केशवपुरा कोटा द्वारा आवेदन किये जाने पर मृतक की वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 02.03.2020 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के ग्राम मालबमोरी में नामातंकरण 1468 दिनांक 04.06.2020 को स्वीकृत होकर लॉक किया जा चुका है। जिसमें मृतक का एक मात्र वारिस भोलाशंकर को ही बताया गया है। मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण के वारिसान की जांच रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा पत्रांकः एलआर/2020/3730 दिनांक 07.08.2020 से दुबारा पटवारी हल्का रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जांच रिपोर्ट भिजवाई गई है, जिसमें भोलाशंकर के अलावा अन्य तीन वारिस दयाशंकर पुत्र एवं कृष्णाबाई व विद्यापाठक पुत्रियों का होना बताया गया है। इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा से प्राप्त वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 02.03.2020 एवं दिनांक 08.07.2020 में भिन्नता होने के कारण मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण के नाम सहखातेदारी में दर्ज भूमि वाके ग्राम मालबमोरी की आराजी खसरा नंबर 1307 रकबा 3.30 है0 एवं 1313 रकबा 2.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.22 का दर्ज विरासत नामांतकरण दिनांक 04.06.2020 निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर [illegible] कर, अप्रार्थी को जरिये सम्मन तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 27.12.2[illegible] स्वंय उपस्थित रहा तथा आगामी नियत पेशी दिनांक 07.02.2023 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण में एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:09 IST
Reason: SelfAttested

3— दौराने बहस पेरोकार सरकार ने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा से प्राप्त वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 02.03.2020 एवं दिनांक 08.07.2020 में भिन्नता होने के कारण मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण के नाम सहखातेदारी में दर्ज भूमि वाके ग्राम मालबमोरी की आराजी खसरा नंबर 1307 रकबा 3.30 है0 एवं 1313 रकबा 2.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.22 का दर्ज विरासत नामांतकरण 1468 दिनांक 04.06.2020 निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

4— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण, निवासी मालबमोरी के विरासत नामांतकरण दर्ज करने हेतु वारिस भोलाशंकर पुत्र पुरूषोत्तम ब्राह्मण द्वारा आवेदन किये जाने पर मृतक की वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 02.03.2020 तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा के आधार पर ग्राम मालबमोरी में नामातंकरण संख्या 1468 दिनांक 04.06.2020 को स्वीकृत होकर लॉक किया गया जिसमें मृतक का एक मात्र वारिस भोलाशंकर को ही बताया गया है। मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण के वारिसान की जांच रिपोर्ट तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा पत्रांकः एलआर/2020/3730 दिनांक 07.08.2020 से दुबारा पटवारी हल्का रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जांच रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसमें भोलाशंकर के अलावा अन्य तीन वारिस दयाशंकर पुत्र एवं कृष्णाबाई व विद्यापाठक पुत्रियों का होना बताया गया है। अतः तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा से प्राप्त वारिसान जांच रिपोर्ट दिनांक 02.03.2020 एवं दिनांक 08.07.2020 में भिन्नता होने के कारण मृतक पुरूषोत्तम पुत्र गेंदीलाल ब्राह्मण के नाम सहखातेदारी में दर्ज भूमि वाके ग्राम मालबमोरी की आराजी खसरा नंबर 1307 रकबा 3.30 है0 एवं 1313 रकबा 2.92 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 6.22 का दर्ज विरासत नामांतकरण संख्या 1468 दिनांक 04.06.2020 निरस्त योग्य पाया जाता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

5— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, ग्राम भटवाड़ा का नामान्तकरण संख्या 1468 दिनांक 04.06.2020 निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार, मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

आदेश आज दि[illegible] को [illegible] करे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.08.11 11:02:09 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)